



जीडीसीई अधिसूचना संख्या 01/2019 के अंतर्गत कोटि संख्या-04,

पदनाम-गुड्स गार्ड के उम्मीदवारों को मंडल चिकित्सा बोर्ड/कमेटी (DMC) के निर्णय के विरुद्ध अपील संबंधी महत्वपूर्ण सूचना

—0—

जीडीसीई अधिसूचना संख्या 01/2019 के अंतर्गत कोटि संख्या-04, पदनाम-गुड्स गार्ड के उम्मीदवारों का दस्तावेज एवं उम्मीदवारिता सत्यापन दिनांक 24/11/2020 से 26/11/2020 तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में किया गया। इसके पश्चात मंडल/कारखाना द्वारा कराये गये चिकित्सा परीक्षण में गुड्स गार्ड पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में मंडल चिकित्सा बोर्ड/कमेटी (DMC) द्वारा अयोग्य घोषित 09 उम्मीदवारों को पुनः चिकित्सा परीक्षण हेतु अपील संबंधी सूचना दिनांक 15/01/2021 को जारी की गई। इसी क्रम में 01 अन्य उम्मीदवार, गुड्स गार्ड पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में अयोग्य पाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

SN	REG_NO	CANDIDATE_NAME	FNAME	Medical Fitness
1	19104426	ASHISH KUMAR GUPTA	ARVIND GUPTA	Unfit in Aye Two Fit Aye Three and under with glasses for DV

यदि उक्त उम्मीदवार मंडल चिकित्सा बोर्ड/कमेटी (DMC) द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो उन्हें संलग्न प्रोफार्मा में अपील आवेदन दिनांक 27/01/2021 या इससे पूर्व रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 27/01/2021 तक अपील प्राप्त न होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि वह चिकित्सा परीक्षण के निर्णय से संतुष्ट हैं एवं वह अपील नहीं करना चाहते हैं।

अपील संबंधी सूचना उक्त उम्मीदवार को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर दी जा चुकी है।

दिनांक : 21/01/2021

संलग्न -1. अपील आवेदन का प्रोफार्मा
 2. चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रोफार्मा-ए)


 21/1/2021
 अध्यक्ष

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
 पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्थान :-

विषय:- जीडीसीई अधिसूचना संख्या 01/2019 के अंतर्गत मंडल चिकित्सा बोर्ड/कमेटी (DMC) के निर्णय के विरुद्ध अपील।

— 6 —

महोदय,

निवेदन है कि, मेरा मेडिकल परीक्षण मंडल चिकित्सा बोर्ड (DMC) द्वारा किया गया और मुझे निर्धारित मेडिकल श्रेणी में फिट नहीं किया गया। अतः मैंने अपना चिकित्सा परीक्षण अन्य सरकारी/गैर सरकारी चिकित्सकों से जब करवाया तो उपरोक्त जानकारी के उपरांत भी उन्होंने मुझे चिकित्सा परीक्षण में निर्धारित श्रेणी में फिट पाया अतः मैं मंडल चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता/चाहती हूँ। चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रोफार्मा-ए) आगे की कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अभ्यर्थी का विवरण निम्नानुसार है :-

[illegible]

नोट:- उपरोक्त संपूर्ण जानकारी स्पष्ट एवं साफ अक्षरों में भरें।

संलग्न :- चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रोफार्मा-ए)।

प्रार्थी के हस्ताक्षर :

प्रार्थी का नाम :

Proforma-'A'

**PROFORMA FOR MEDICAL CERTIFICATE TO BE OBTAINED FROM
SPECIALIST BY CANDIDATE FOR APPEAL TO PCMD AGAINST THE DECISION
OF THE COMMITTEE.**

Photo attested by
issuing authority

I have checked up Shri S/o
..... address
..... who bears
following marks of identification (i) (ii)
..... who has applied for the post of
..... in Railway. The candidate is having following standard
required for appointment on the Railway.

Post	Class	Standard required by Railway for above post	Examination Finding of Candidate	Remarks
		(i)		
		(ii)		
		(iii)		

I Specialist is fully aware of Physical & Visual Standards
set by the Railways for the particular medical category and that I am aware of the fact that the
candidate has already been declared unfit according to these standards during medical
examination conducted by appropriate Medical Board comprising of the three Senior Railway
Doctors appointed by Government in this regard.

Name of Specialist

MCI Registration No.

Place

Date

(Signature of Specialist with Seal)